न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 42/2021

जी.सी.एम.एस. : 2021/186

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
स्वरूप भारती चेला गुलाब भारती जाति साधु गोस्वामी निवासी धुनला तहसील मा.ज. जिला पाली		भुमिधारी तहसीलदार मा.ज. जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री खुशवंत सांखला।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 19.3.2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड द्वारा जारी ग्राम धुंधला पटवार हल्का धुंधला के नामान्तरकरण संख्या 237 दिनांक 09.12.1993 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। सरकारी पैरोकार वक्त बहस अनुपस्थित रहने से अभिभाषक अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम धुंधला तहसील मा.ज. के खसरा नम्बर 239 रकबा 2.44 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल भुमि डोली बनाम मंदिर श्री महादेव जी वाके देह वेतनाम पुजारी गुलाब भारती चेला धनराजगिरी कौम स्वामी साकीन देह खातेदारी के नाम स्थित है। तहसीलदार मारवाड जंक्शन द्वारा जैर अपील नामान्तरकरण भरते समय अपीलाण्ट को सुने बगैर ही खातेदारी डोली बनाम मंदिर चारभुजा के नाम कर दी जो विधि विरूद्ध है। उक्त वादग्रस्त आराजी डोली बनाम मंदिर महादेव के नाम पर है, जिस पर अपीलाण्ट आज दिनांक तक कब्जा काश्त है, तहसीलदार मारवाड जंक्शन को जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज करते समय डोली बनाम मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी गुलाब भारती चेला धनराज गिरी जाति स्वामी के स्थान पर पुजारी का नाम हटाते हुए डोली मंदिर महादेवजी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिए था लेकिन जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज करते समय ऐसा न कर डोली बनाम मंदिर चारभुजाजी के नाम दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। जिसके संबध में अपीलाण्ट ने पटवारी हल्का से नामान्तरकरण की प्रति चाही तो उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलाण्ट को हुई। तहसीलदार मारवाड जंक्शन ने जैर अपील नामान्तरकरण भरते समय अपीलाण्ट को साक्ष्य सबुत पेश करने एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित जाकर जैर अपील म्युटेशन भर दिया जो काबिल खारिज योग्य है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 237 दिनांक 09.12.1993 को निरस्त करावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की सुनी गइ एक पक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील उनके हक अधिकारों से संबंधित होने से अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 237 दिनांक 09.12.1993 तहसीलदार के आदेश दिनांक 92/813.17 दिनांक 08.07.1992 व आर आई माण्डा के मौखिक आदेशानुसार दर्ज किया गया जो विधि

अति. जिला कलक्टर, पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

विरूद्ध है। जैर नामान्तरकरण से अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है कोई भी नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व हल्का पटवारी को उस नामान्तरकरण से संबंधित सभी पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात सावधानीपूर्वक नामान्तरकरण की कार्यवाही करनी चाहिए, लेकिन हस्तगत प्रकरण में ऐसा प्रतीत होता है कि हल्का पटवारी एवं राजस्व कार्मिकों ने ऐसी प्रक्रिया का पालन नहीं कर जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज कर दिया। जैर अपील नामान्तरकरण दर्ज करते समय डोली बनाम मंदिर महादेवजी वाके देह बएतमाम पुजारी गुलाब भारती चेला धनराज गिरी जाति स्वामी के स्थान पर पुजारी का नाम हटाते हुए डोली मंदिर महादेवजी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करना चाहिए था लेकिन ऐसा न कर डोली बनाम मंदिर चारभुजाजी के नाम दर्ज कर दिया। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील नामान्तरकरण को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा स्वीकृत ग्राम धुंधला के नामान्तरकरण संख्या 237 दिनांक 09.12.1993 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलाण्ट को दिनांक 19.04.2024 को समूचित सुनवाई का अवसर देते हुए दस्तावेजो की जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करते हुये नामान्तरकरण में डोली बनाम मंदिर महादेवजी के स्थान पर डोली बनाम मंदिर चारभुजाजी कैसे दर्ज हुआ की जांच करे। अपीलाण्ट दिनांक 19.04.2024 को तहसीलदार मारवाड जंक्शन के समक्ष आवश्यकरूप से अपना पक्ष रखते हेतु उपस्थित रहे। निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 19/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली